



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 174-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 13, 2025 (ASVINA 21, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 में, अनुसूची में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे;

- क्रम संख्या 38 और 39 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- क्रम संख्या 41, 42 और 43 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा; तथा
- क्रम संख्या 47 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शीर्ष और क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम हेतु परिदान						
48	मत्स्य पालन विभाग	तालाबों के सुधार हेतु परिदान	40 दिन	सम्बन्धित ज़िला मत्स्यपालन अधिकारी	सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्यपालन	निदेशक मत्स्य पालन "।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)****Notification**

The 13th October, 2025

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 27th September, 2022, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 27th September, 2022, in the Schedule, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7;

- (i) serial number 38 and 39 and existing entries thereragainst shall be omitted;
- (ii) serial numbers 41, 42 and 43 and existing entries thereragainst shall be omitted; and
- (iii) after serial number 47 and entries thereagainst, the following heading and serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“Subsidy for the Intensive Fisheries Development Programme						
48	Fisheries Department	Subsidy for Renovation of Ponds	40 Days	District Fisheries Officer concerned	Deputy Director, Fisheries concerned	Director, Fisheries”.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.